Centre for Advocacy and Research | VAAGDHARA | Azim Premji University

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण

राजस्थान

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) और VAAGDHARA के साथ मिलकर राजस्थान के ४८४ उत्तरदाताओं का एक विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण किया।

त्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया था जिससे उनके कार्य और स्थान में विविधता सुनिश्चित की जा सके।यह प्रतिदर्श (सैंपल) राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

राज्य के 11 से अधिक जिलों के उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। यहाँ प्रस्तुत डाटा १४ अप्रिल, २०२० और २० मई, २०२० के बीच एकत्रित किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणाम राज्य-स्तरीय संक्षिप्त जानकारी की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विस्तृत जानकारी cse. *azimpremjiuniversity.edu.in* पर उपलब्ध है।

मुख्य निष्कर्ष

८८%
श्रमिकों ने अपना रोजगार खोया है।

६८%
परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

७७%
परिवारों ने बताया कि पहले की तुलना में वो अब कम खाना खा रहे हैं।

६३%
वंचित परिवारों को राशन मिला।

१० में से ४
वंचित परिवारों को नकद अंतरण (ट्रांसफर) नहीं मिला।

राहत उपायों की घोषणा

एसएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को राहत उपाय की जानकारी भेजी गई थी।

केंद्रीय स्तर

* हर परिवार को प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज (चावल/गेहूँ) और प्रति परिवार १ किलो दाल अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने मुफ्त दिया जाएगा । यह नियमित राशन के अतिरिक्त है जो उन्हें मिलता रहेगा।
* अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने महिला जन धन खाता धारकों के खाते में Rs 500 की राशि जमा की जाएगी।
* पीएम-किसन (रु २०००) योजना की प्रथम किश्त (2000) अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी।

राज्य स्तर

* BPL (बी पी एल) , राज्य BPL (राज्य बी पी एल) और AAY (ए ए वाई) कटेगरी वाले परिवारों को सरकार द्वारा दो किश्तों में पैसे दिए जायेंगे- पहला भुगतान रु १००० और दूसरा भुगतान रु १५००।
* पंजीकृत निर्माण मज़दूर जो उपर दिए गए श्रेणियों में नहीं आते उन्हें भी सरकार द्वारा दो किश्तों में पैसे दिए जायेंगे- पहला भुगतान रु १००० और दूसरा भुगतान रु १५००।
* पंजीकृत सड़क विक्रेता जो उपर दिए गए दोनों श्रेणियों में नहीं आते उन्हें भी सरकार द्वारा दो किश्तों में पैसे दिए जायेंगे- पहला भुगतान रु १००० और दूसरा भुगतान रु १५००।
* BPL (बी पी एल) , राज्य BPL (राज्य बी पी एल), AAY (ए ए वाई) और PHH (अन्य) के अंतर्गत परिवारों को जून के महीने का गेहूँ (५ किलो प्रति सदस्य) मुफ्त में दिया जाएगा जिसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी ।
* आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लाभार्थियों के घर राशन पहुँचाया जाएगा।
* पेंशन पाने वालों को अप्रैल २०२० में २ महीने का एडवांस (अग्रिम) पेंशन मिलेगा।रिक्शा चलाने वालों को तथा अन्य श्रमिक,निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों को रु १००० दिए जायेंगे। जिला प्रशाशन ऐसे परिवारों को पहचानने का काम करेगा।
* आदिवासी किसानो को ५ किलो मक्का के बीज (संकर किस्म के) की छोटी किट मुफ्त में दी जाएगी।
* प्रत्येक छोटे और सीमांत किसान को १.५ किलो बाजरा के बीज की छोटी किट मुफ्त में दी जाएगी।

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

अनुशंसाएँ

* पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
* दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
* नकद हस्तांतरण की पहुंच का विस्तार करने के लिए मनरेगा, पीएम उज्जवला, पीडीएस और स्थानीय पंजीकरण से जानकारी का उपयोग करें।
* शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है।
* मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की जरूरत है।

आजीविका पर प्रभाव

यह भाग तालाबंदी के चलते काम और कमाई पर पड़े असर को समझने की कोशिश करता है तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है।

चित्र १ : जिन श्रमिकों ने रोजगार खोया है (गतिविधि की स्थिति के अनुसार)

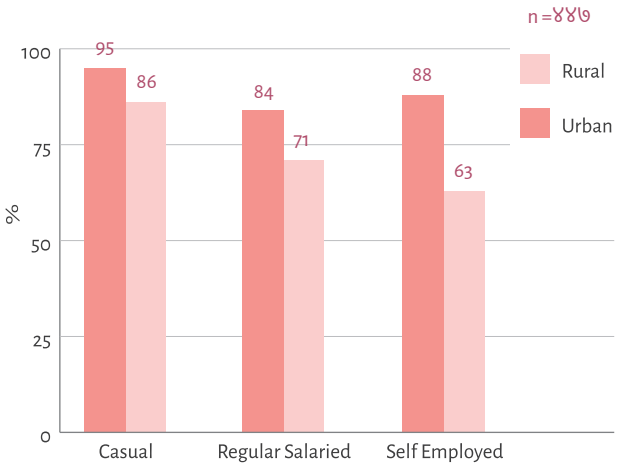

शहरी राजस्थान अधिक रूप से प्रभावित हुआ है। १० में से ९ उत्तरदाताओं ने अपना रोज़गार खोया।

९५% दिहाड़ी श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया, वह तालाबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हए हैं।

६८% वेतनभोगी मज़दूरों ने बताया कि उन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया या उन्हें लॉकडाउन के दौरान कम वेतन मिला था।

महिलाऐं अधिक रूप से प्रभावित हुई।

"गांवों की स्थिति बहुत बदतर है | यहाँ हम ज़रूरी सामग्री भी नहीं खरीद पा रहे हैं | लॉक डाउन के चलते काम के लिए और ज़रूरत के समान खरीदने के लिए शहर नहीं जा सकते | जमा रकम भी खत्म होती जा रही है | आगे भी 6 महीने तक जीवन चलाना मुश्किल होगा |"
(पुरुष, ३७, स्वयं कार्यरत)

चित्र २ : मजदूरी करने वाले कर्मचारी जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है (% लिंग के अनुसार)

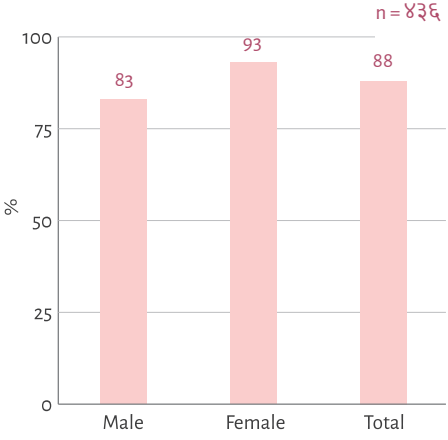

घरों पर प्रभाव

यह भाग यह देखता है परिवारों पर, खासकर उनके भोजन के सेवन अथवा कर्ज़े और बचत की स्तिथि पर, तालाबंदी के कारण क्या प्रभाव पड़ा।

चित्र ३ : पहले की तुलना में कम भोजन लेने वाले परिवार (%)

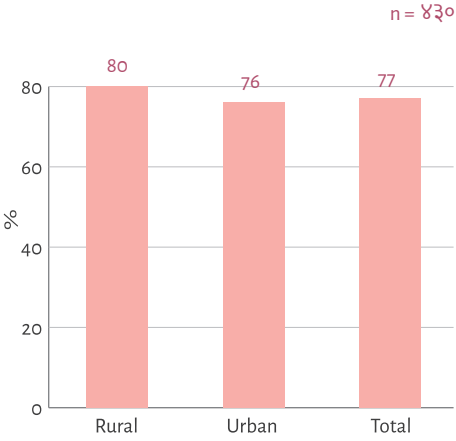

४ में से ३ परिवारों ने बताया कितालाबंदी के दौरान उन्होंने पहले कि तुलना में कम भोजन का सेवन किया।

६३% परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

४४% परिवारों को इस तालाबंदी के परिणामस्वरूप ऋण लेना पड़ा।

शहरी क्षेत्रों में ४ में से ३ परिवारों ने कहा की वो अगले महीने का किराया नहीं दे सकते।

"हमारे खाने और पानी की व्यवस्था तालाबंदी करने से पहले की जानी चाहिए थी। मज़दूरों को मुफ्त में राशन दिया जाना चाहिए।"

(पुरुष, ३५, दिहाड़ी मज़दूर)

चिटा ४ : परिवार जिन्हे कर्ज़ा लेना पड़ा (%)

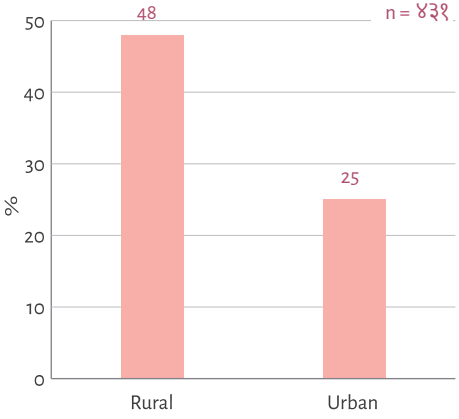

राहत योजनाओं की पहुँच

यह भाग सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों की पहुंच और प्रभाव का अध्ययन करता है। हम राशन की उपलब्धता, लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और कमजोर परिवारों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चित्र ५ :वंचित परिवार जिन्हे तालाबंदी के दौरान जन धन खाता में स्थानांतरित किया गया (%)

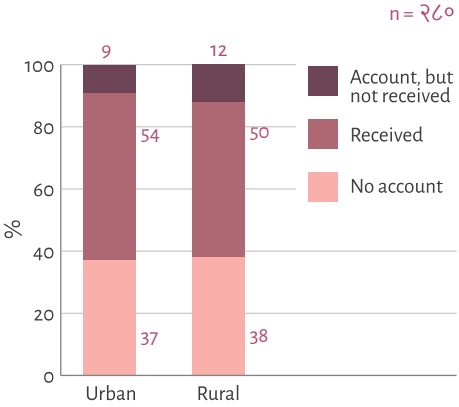

शहर में काम करने वाले ३०% प्रवासी मज़दूरों के पास राशन कार्ड नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में १० में से ३ वंचित परिवारों को तालाबंदी के दौरान राशन नहीं मिला।

३७% वंचित परिवारों के पास जन धन खाता नहीं था, ८५%खाताधारकों को नकद हस्तांतरण मिला।

३९% शहर में स्तिथ वंचित परिवारों को किसी भी प्रकार का नकदी हस्तांतरण नहीं मिला।

चित्र ६: वंचित परिवार जिनको राशन मिला (%)

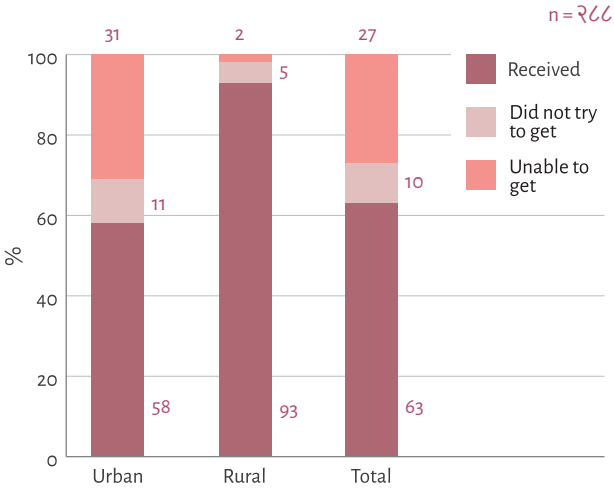

सरकार गरीबों की नहीं सुन रही। उन्हें घर पर राशन भिजवाना चाहिए पर कोई जांच करने भी नहीं आ रहा। हम भूक से मर रहे हैं।"
(महिला, ३५, दिहाड़ी मज़दूर)

सर्वेक्षण कवरेज

चित्र ७: गतिविधि की स्थिति के अनुसार उत्तरदाता (%)

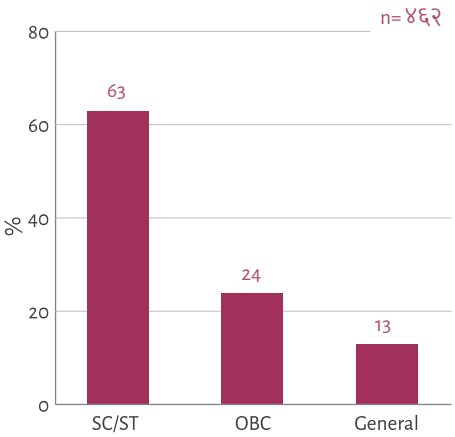

७९% प्रतिवादी शहर में काम करते हैं।

४५% उत्तरदाता पुरुष थे, ५२% महिलाएं और ३% ट्रांसजेंडर थे।

८२% प्रतिवादी हिन्द थे और १७% मुस्लिम।

१५% प्रवासी मज़दूर थे, जिसमे से अधिकतर (७१%) शहर में स्तिथ थे।

८४% वंचित परिवार थे, यानी उन्होंने फरवरी के महीने में १०,००० से काम कमाया।

चित्र ८: गतिविधि की स्थिति के अनुसार उत्तरदाता (%)

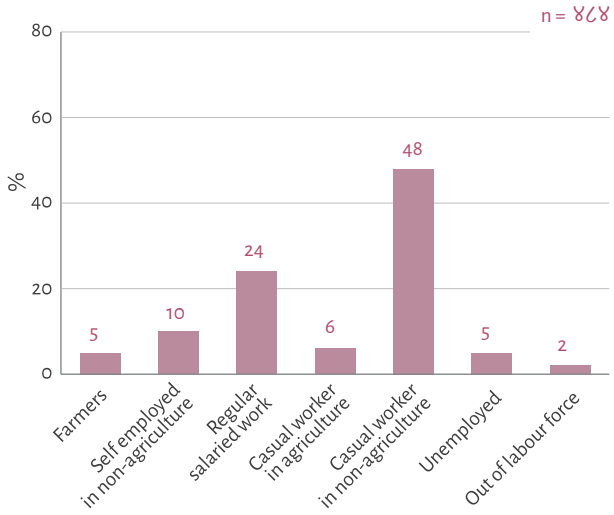

राज्य में हो रहे अन्य सर्वेक्षणों के परिणाम

* दवारा रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ६७% एम् ऍफ़ ऑय के ग्राहकों ने राजस्व में नुकसान का उल्लेख किया। २५% परिवार किसी भी सरकारी योजनाओं के लिए योग्य नहीं थे।

* डलबर्ग , इंडस एक्शन और स्वान द्वारा आयोजित शोध में अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान पर पड़े कोविद - १९ के प्रभाव की भी व्याख्या की गयी है।

देश भर में किए गए विभिन्न कोविड़-19 सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संकलन के लिए कृपया देखें: *cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys*

सवाल के लिए: **Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University**
cse.azimpremjiuniversity.edu.in | cse@apu.edu.in